प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम में धारा 35गगग और धारा 35गगघ, जो "कृषि विस्तार परियोजना संबंधी व्यय" और "कौशल विकास कार्यक्रम संबंधी व्यय" के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 35गगग यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई निर्धारिती, बोर्ड द्वारा, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना संबंधी कोई व्यय उपगत करता है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के समतुल्य राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को "कृषि विस्तार परियोजना" को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की जाए और उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त किया जाए ।

प्रस्तावित नई धारा 35गगघ यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई कंपनी, बोर्ड द्वारा, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किसी कौशल विकास कार्यक्रम संबंधी कोई व्यय (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के समतुल्य राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को "कृषि विस्तार परियोजनाओं" को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की जाए और उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त किया जाए ।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम की धारा 56 का, जो अन्य स्रोतों से आय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2) में स्पष्टीकरण सहित एक नया खंड (viiख) अंतःस्थापित करने के लिए है । उक्त नए खंड का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि शेयरों का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा, जो ऐसी पद्धित के अनुसार, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाए ।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जिससे कि शेयरों का उचित बाजार मृल्य अवधारित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम की धारा 90 का, जो विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के साथ किए जाने वाले करार के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा 90 में एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है और जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार लागू होता है, तब तक ऐसे करार के अधीन किसी राहत का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसके द्वारा, यथास्थिति, भारत से बाहर किसी देश या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उसके निवासी होने के बारे में, ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक प्रमाणपत्र उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता ।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को निर्धारिती द्वारा उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त किए जाने वाले प्रमाणपत्र के संबंध में विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम की धारा 90क का, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों के अंगीकृत किए जाने के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है और जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है, तब तक ऐसे करार के अधीन किसी राहत का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उसके निवासी होने के बारे में ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक प्रमाणपत्र उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को निर्धारिती द्वारा उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार से अभिप्राप्त किए जाने वाले प्रमाणपत्र के संबंध में विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने हेत् नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 35 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 92खक, जो विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के अर्थ के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा का खंड (vi) बोर्ड को ऐसे किसी अन्य विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के, जो कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है, संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम में नई धारा 92गग और धारा 92गघ, जो अग्रिम मूल्यांकन करार और अग्रिम मूल्यांकन करार को प्रभाव देने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 92गग की उपधारा (9) बोर्ड को स्कीम के संबंध में उसमें अग्रिम मूल्यांकन करार के संबंध में रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और साधारणतया अन्य कोई विषय विनिर्दिष्ट करते हुए, नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 40 आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 10क, जो सामान्य परिवर्जन रोधी नियम के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है।

पूर्वोक्त अध्याय की धारा 101 यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त अध्याय के उपबंध ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में लागू किए जाएंगे, जो विहित की जाएं।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को उक्त अध्याय के उपबंधों को लागू करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धातों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त किया जाए ।

विधेयक का खंड 48 धारा 115 ञग का, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंधों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

पूर्वोक्त नई धारा 115 जग की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 115 जग लागू होती है, किसी लेखापाल से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, यह प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार, बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया गया है ।

विधेयक का खंड 56 आय-कर अधिनियम की धारा 139 का, जो आय की विवरणी के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (क), उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई निवासी है और जिससे इस उपधारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की गई है और जिसके पास पूर्ववर्ष के दौरान भारत से बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में कोई वित्तीय हित भी है) है या भारत से बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने संबंधी

प्राधिकार है, नियत तारीख को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ष की अपनी आय या हानि के संबंध में, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाए, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार, बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया गया है ।

विधेयक का खंड 59 आय-कर अधिनियम में नई धारा 144खक, जो कतिपय मामलों में आयुक्त को निर्देश करने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

नई धारा 144खक की उपधारा (15) बोर्ड को अनुमोदनकर्ता पैनल के दक्ष कार्यकरण और उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निर्देशों के शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेत् सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 64 आय-कर अधिनियम की धारा 153क का, जो तलाशी या अध्यपेक्षा के मामले में निर्धारण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा मामलों (ऐसे मामलों के सिवाय, जहां निर्धारण या पुनःनिर्धारण का दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन किया गया है) के ऐसे वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम की धारा 153ग का, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में मामलों के ऐसे वर्ग या वर्गों को ऐसे मामलों के सिवाय, जहां निर्धारण या पुनःनिर्धारण का उपशमन किया गया है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 73 आय-कर अधिनियम में नई धारा 194ठकक, जो कृषि भूमि से भिन्न कतिपय संपत्ति के अंतरण पर संदाय के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ड) या उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन रिजस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में या में के किसी व्यक्ति के अधिकार, हक या हित को अंतरित, समनुदेशित, सीमित या निर्वापित करने के लिए तात्पर्यित है और जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, वहां कोई रिजस्ट्रीकरण अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज को तब तक रिजस्टर नहीं करेगा जब तक अंतरिती आयकर की कटौती किए जाने का और, इस प्रकार काटी गई राशि को केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करने का सबूत विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर देता है।

तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेत् सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 75 आय-कर अधिनियम की धारा 195 का, जो अन्य राशियों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में उपधारा (7) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों या मामलों का कोई वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनमें किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि का, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या नहीं, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसे अवधारण पर, उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती, ऐसी राशि के उस अनुपात पर, जो इस प्रकार प्रभार्य हो, की जाएगी।

अतः प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना जारी करने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 77 आय-कर अधिनियम की धारा 201 का, जो कटौती करने या संदाय करने में असफलता के परिणामों के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, जो किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा की गई राशि पर, अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, उस कर के संबंध में व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं होगा, यदि ऐसे निवासी ने धारा 139 के अधीन आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत कर दी है; आय की ऐसी विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को हिसाब में लिया है; और आय की ऐसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित आय पर देय कर संदत्त कर दिया है; और निर्धारिती किसी लेखापाल से, इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है।

अतः प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 79 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप आदि के व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (6क) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए हैं, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी, उपधारा (1घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, कोई व्यक्ति जो क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी फाइल कर दी है, उसके द्वारा विवरणी में प्रकट की गई आय की संगणना करने में ऐसी राशि को हिसाब में लिया है, और उसके द्वारा विवरणी में प्रकट की गई आय पर देय कर संदत्त कर दिया है और वह व्यक्ति किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, भी प्रस्तुत कर देता है।

तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है

विधेयक का खंड 106 आय-कर अधिनियम के अध्याय 22 में नई धारा 280क, जो विशेष न्यायालयों के संबंध में हैं, अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 280क यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, एक या अधिक प्रथम श्रेणी मिजस्ट्रेट न्यायालयों को, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों या मामलों के ऐसे वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

अतः प्रस्तावित नई धारा केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 118 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 का, जो घरेलू उपभोग के लिए मालों की निकासी के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

उक्त खंड का उपखंड (क) केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आयातकर्ताओं का वर्ग या के वर्गों को विनिर्दिष्ट करने हेतु सशक्त करने के लिए, जो ऐसे आयात शुल्क का इलैक्ट्रानिक रूप में संदाय करेंगे, उपधारा (2) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 143 वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का, जो सेवा-कर के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (क) धारा 65 में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 65 के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (ख) नई धारा 65क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 65क के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं रहेंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (ग) नई धारा 65ख अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, विभिन्न पदों के निर्वचन के लिए उपबंध किया जा सके।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (घ) धारा 66 में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 66 के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं रहेंगे, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (ड) धारा 66क में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 66क के उपबंध उस तारीख से लागू नहीं रहेंगे जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (च) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, उसमें धारा 66ख, धारा 66ग, धारा 66घ, धारा 66ङ और धारा 66च अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा 66ख केंद्रीय सरकार को सेवा कर के संग्रहण की रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

प्रस्तावित नई धारा 66ग सेवा के उपबंध के स्थान के अवधारण के संबंध में उपबंध करने के लिए हैं । उसका उपखंड (1) यह उपबंध करने के लिए हैं कि केंद्रीय सरकार, विभिन्न सेवाओं की प्रकृति और वर्णन को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा ऐसे स्थान का अवधारण कर सकेगी, जहां ऐसी सेवाओं को प्रदान किया जाता है या प्रदान किया गया समझा जाता है या प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जाता है या प्रदान किए जाने के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाता है।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (छ) धारा 67 के स्पष्टीकरण के उपखंड (ख) का उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, लोप करने के लिए है ।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (ठ) उसकी धारा 68 का, जो सेवा कर के संदाय के संबंध में है, संशोधन करने के लिए है।

उक्त उपखंड (ठ) की मद (i) उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 68 की उपधारा (2) में आने वाले "अधिसूचित ऐसी कराधेय

सेवा" शब्दों के स्थान पर, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, "ऐसी कोई कराधेय सेवा, जो अधिसूचित की जाएं" शब्द रखे जा सकें।

उक्त उपखंड (ठ) की मद (ii) उक्त उपधारा (2) में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है।

पूर्वोक्त खंड का उपखंड (न), उसकी धारा 94 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है ।

तदनुसार, उक्त धारा 94 केंद्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

उक्त उपखंड (न) की मद (iii)—

(क) एक नया खंड (i) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को अपराधों के उपशमन के लिए संदत्त की जाने वाली रकम और अपराधों के उपशमन की रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके;

(ख) एक नया खंड (ञ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू किए गए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 5 की धारा 31, धारा 32 और धारा 32क से धारा 32त (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अनुसार मामलों के समाधान के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 147 राजिवत्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 3 का, जो "राजिवत्तीय नीति संबंधी विवरण" संसद् के समक्ष रखे जाने के संबंध में है, संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में एक नई उपधारा (6क) अंतःस्थापित करने के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (6क) का खंड (क) यह उपबंध करने के लिए है कि मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण में विहित व्यय संकेतकों के लिए अंतर्निहित धारणाओं और अंतर्वेलित जोखिम के विनिर्देशों वाला तीन वर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित किया जाएगा ।

प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को, धारा 3 की उपधारा (6क) के खंड (क) के अधीन अंतर्निहित धारणाओं संबंधी विनिर्देशों और अंतर्वलित जोखिम वाले व्यय संकेतकों की बाबत नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 148 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 4 का, जो "राजवित्तीय प्रबंध संबंधी सिद्धांतों" के संबंध में है, संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

प्रस्तावित संशोधन पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार राजवित्तीय घाटे, राजस्व घाटे और वास्तविक राजस्व घाटे को कम करने के लिए समुचित उपाय करेगी, जिससे 31 मार्च, 2015 तक वास्तविक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और तत्पश्चात् पर्याप्त वास्तविक राजस्व अतिशेष का निर्माण किया जा सके और उसके पश्चात् जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, राजस्व घाटे में 31 मार्च, 2015 तक और उसके पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से अनधिक तक राजस्व भी लाया जा सके ।

तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिससे राजस्व घाटे को कम करने के प्रयोजन के लिए विद्यमान समयाविध को 31 मार्च, 2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2015 किया जा सके।

वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।